कार्यालय,
बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रबंधन बोर्ड, देवघर।

निविदा आमंत्रण

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर स्थित संगतबाड़ी (मंदिर परिसर) में निर्मित ''उमा भवन'' के जमीनी तल, प्रथम तल, द्वितीय तल, एवं तृतीय तल के लिए वार्षिक बन्दोवस्ती हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

जमीनी तल एवं प्रथम तल में दो विशाल हॉल है, द्वितीय एवं तृतीय तल में कुल–26 कमरे है। साथ ही दो स्टोर रूम, दो कार्यालय, दो किचेन एवं एक डोरमेट्री हॉल है, जिनका उपयोग यात्री ठहराने एवं विवाह, मुण्डन, जेनेउ इत्यादि कार्य के लिए कर सकते है। अतः ''उमा भवन'' के सभी तल के वार्षिक बन्दोवस्ती के लिए इच्छुक व्यक्ति से मुहरबन्द निविदाएँ दिनांक–05.12.2007 के अपराह्न 1:00 बजे तक निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

प्राप्त मुहरबन्द निविदाएँ उसी दिन बाबा मंदिर, कार्यालय में सक्षम पदाधिकारी द्वारा अपराह्न 3:00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्त्ता के समक्ष खोला जायेगा।

निविदा की शर्तेः–

1. बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निविदा को रद्ध करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।
2. मंदिर के धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए उमा भवन के संचालन का कार्य करना होगा।
3. इस भवन में केवल निरामिष भोजन करने का आदेश देय होगा।
4. मदिरापान एवं तम्बाकू का सेवन वर्जित होगा।
5. श्रावणी मेला, भादो मेला, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी एवं अन्य मेला के अवसर पर जमीनी तल एवं प्रथम तल का उपयोग मंदिर प्रशासन द्वारा महिला श्रद्धालुओं को कतारबद्ध पूजा कराने हेतु उपयोग में लाया जायेगा।
6. डाक में भाग लेने के लिए सुरक्षित जमा राशि रूप 51,000.00 (एक्वन हजार) रू0 का ड्राफ्ट उपायुक्त–सह–सचिव, बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर के नाम से देय होगा, जमा करना होगा। असफल डाकवक्ता को डाक समाप्ति के उपरान्त यह राशि लौटा दी जाएगी।
7. डाक की न्यूनतम बोली 7,00000.00(सात लाख) रूपये होगी। डाक राशि तीन बराबर किस्तों में जमा करनी होगी। प्रथम किस्त पंद्रह दिनों के अन्दर जमा करनी होगी।
8. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
9. यह बन्दोवस्ती/आवंटन मात्र एक वर्ष के लिए किया जाएगा। निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात् बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रबंधन बोर्ड का निर्णय मान्य होगा।
10. एक साल की अवधि समाप्त होने पर या उसके पूर्व बन्दोवस्ती को रद्ध किये जाने की स्थिति में बन्दोवस्ती प्राप्तकर्त्ता का दखल अवैध माना जायेगा तथा वो खाली करने के लिए बाध्य होगें। नही करने की स्थिति में प्रबंधन बोर्ड सक्षम आदेश(Executive order) पारित कर खाली कराने हेतु सक्षम होगा।
11. मूल संरचना में किसी प्रकार की छेड़खानी या परिर्वतन का अधिकार आवंटी को नहीं होगा।
12. किसी भी परिस्थिति में यह हस्तांतरणीय नहीं होगा, ऐसे मामले प्रकाश में आने पर आवंटन आदेश रद्द करते हुए समस्त जमा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबंध के शर्त्तों के उल्लंघन/धोखाधड़ी के लिए उल्लंघनकर्त्ताओं के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
13. आवंटी को किसी भी प्रकार की गैर कानूनी / प्रशासन / मंदिर प्रबंधन द्वारा वर्जित कार्य करने पर रोक रहेगी।
14. आवंटी द्वारा उमा भवन में व्यवहृत बिजली का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
15. डाक में भाग लेनेवाले आवेदकों का चरित्र स्वच्छ होना आवश्यक है।
16. निविदा बाबा मंदिर स्थित मंदिर कार्यालय में जमा कर सकते है।
17. सशर्त्त निविदा स्वीकार्य नही होगी।

उपायुक्त–सह–सचिव,
बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रबंधन बोर्ड, देवघर।